In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 974/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

## Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.974/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

## **Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in item (vi), for the words "Services provided", the words "Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, provided" shall be substituted;
- (ii) against serial number 7,-
  - (a) for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not

mess, canteen, whether for consumption on or away	been taken
from the premises where such food or any other	[Please refer to
article for human consumption or drink is supplied,	Explanation no.
other than those located in the premises of hotels,	(iv)].";
inns, guest houses, clubs, campsites or other	
commercial places meant for residential or lodging	
purposes having declared tariff of any unit of	
accommodation of seven thousand five hundred	
rupees and above per unit per day or equivalent.	
Explanation "declared tariff" includes charges for	
all amenities provided in the unit of accommodation	
(given on rent for stay) like furniture, air	
conditioner, refrigerators or any other amenities,	
but without excluding any discount offered on the	
published charges for such unit.	

(b) for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent.  Explanation "declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities,	9	

but without excluding any discount offered on the	501	
published charges for such unit.		

- (c)the item (iv) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), shall be omitted;
- (d)in item (ix), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
- "(ix) Accommodation, food and beverage services other than (ii), (iii), (v), (vi), (vii) and (viii) above.

Explanation. - For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent shall attract State tax @ 2.5% without any input tax credit under item (i) above and shall not be levied at the rate as specified under this entry.";

- (iii) against serial number 26, in column (3), in item (i), after sub-item (h), the following shall be inserted, namely: -
  - '(i) manufacture of handicraft goods.

Explanation. - The expression "handicraft goods" shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated the 12th October, 2017 as amended from time to time.'

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

N

(Radha Raturi)
Principal Secretary

## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 संख्या १७५/२०१७/XXVII(8) / 2017 देहरादूनः: दिनांकः: २४ नवम्बर, 2017

## <u>अधिसूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) सपित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 525/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (i) क्रम सं. 3 के समक्ष, मद (vi) में, कॉलम (3) में शब्द "सेवा" के स्थान पर "की गई उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा परिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 7 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) की मद सं. (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(i) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हों, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हों, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) देखें)";

(ख) कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से		77.74
के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली		
आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में		
हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो		
पेय के रूप में हो, जहांकि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद,		
आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो,		
और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो		
जिसमें मेस, और कैल्टीन भी आते हैं, जो कि किसी होटल,		
सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के		
वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग		
आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा	9	-";
जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई	2 ( )	
सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या		
समकक्ष।		
म्पष्टीकरण- "घोषित टैरिफ" के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए		
केराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख- पुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजिरेटर या कोई अन्य पुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए काशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित केए बिना।		

- (ग) कॉलम (3) की मद सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, को निरसित कर दिया जाएगा;
- (घ) मद (ix) में, कालम (3) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -
- "(ix) आवास, भोजन ओर पेय सुविधाएं जो कि उपर्युक्त (ii), (iii), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न हों। स्पष्टीकरण— किसी भी प्रकार के संदेह के समाधान के लिए एततद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की किसी सेवा के रूप में या उसके हिस्से के रूप में, या अन्य किसी भी प्रकार से की जाने वाली आपूर्ति जो कि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के रूप में हों, जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता हो या जो पेय के रूप में हो, जहां कि ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थिगत भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के एवज में हो, और जिसे किसी रेस्तरां, इटिंग ज्वाइन्ट, द्वारा की गई हो जिसमें मेस, और कैन्टीन भी आते हैं, जो कि उनसे भिन्न हैं जो किसी होटल, सराय, गैस्ट हाउस, क्लब्स, संयुक्त या अन्य प्रकार के वाणिज्यिक स्थानों के परिसर में अवस्थित हैं जिनका प्रयोग आवासीय या ठहरने के उद्देश्य के लिए किया जाता हो तथा जिनके किसी आवासीय इकाई का घोषित टैरिफ प्रति ईकाई सात हजार पाचं सौ रूपये और इससे अधिक हो या समकक्ष पर उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 2.5 प्रतिशत की दर से राज्य कर लगाया जाएगा न कि उस दर से जो कि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।"
- (iii)क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप-मद (ज) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
  - "(झ) हस्तशिल्प वस्तुओं का विनिर्माण;

स्पष्टीकरण- "हस्तिशिल्प वस्तुओं" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए अधिसूचना सं. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित, में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0 १७५/ २०१७ / २०१७ / २०१७ तद्दिनांक। प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेत्।

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अन् सचिव

आज्ञा से.